विविध बैंक प्र0सं0 82/2016 स्टेट बैंक ऑफ बीकानेर एण्ड जयपुर शाखा ए. डी.बी. घड़साना जरिये मुख्य प्रबन्धक स्टेट बैंक ऑफ बीकानेर एण्ड जयपुर क्षेत्रीय कार्यालय जवाहर नगर, श्रीगंगानगर बनाम 1—मैसर्स श्री साई ईन्ट उद्योग प्रो0 हरीराम पुत्र भगतराम जाति खटीक स्थिति चक 7 डी.डी., कूपली रोड, घड़साना जिला श्रीगंगानगर 2—हरीराम पुत्र श्री भगतराम जाति खटीक निवासी वार्ड न0 3, सुन्दर कोलोनी, नजदीक दुर्गा मन्दिर, नई मण्डी घड़साना जिला श्रीगंगानगर 3—तरसेम सिंह पुत्र श्री सरदूल सिंह निवासी चक 3 एस. टी.आर. घड़साना जिला श्रीगंगानगर।

सत्यमेव जयते
Web Copy - Not Official

25—10—2017

प्रार्थी स्टेट बैंक आफ बीकानेर एण्ड जयपुर के अभिभाषक श्री भारत भूषण महेन्द्रा उपस्थित है। उनकी बहस सुनी गई एवं पत्रावली का अवलोकन किया गया।

प्रार्थी स्टेट बैंक आफ बीकानेर एण्ड जयपुर के अभिभाषक का कथन है कि उनके द्वारा एक प्रा0 पत्र वित्तिय आस्तियों का प्रतिभूतिकरण और पुर्नगठन और प्रतिभूति हित प्रवर्तन अधिनियम 2002 की धारा 14 के अन्तर्गत प्रस्तुत किया है (जिसे आगे अधिनियम कहा जाकर सम्बोधित किया जावेगा) कि प्रार्थी बैंक ने अप्रार्थी मैसर्स श्री सांई ईन्ट उद्योग प्रो0 हरीराम पुत्र भगतराम जाति खटीक स्थित चक 6 डी.डी., कूपली रोड, घड़साना जिला श्रीगंगानगर को ऋण सुविधा के रूप में 11,00,000/— रूपये (अखरे रूपये ग्यारह लाख मात्र) ऋण दिनांक 27.04.2013 को स्वीकृत किया था। उक्त ऋण की सुरक्षा की ऐवज में अप्रार्थी श्री हरीराम ऋणी ने अपनी सम्पति **Commercial property at Chak 6 D.D. Kupli Road, Gharsana, Killa No. 17, 18, 23, 24, 25 Murabba No. 144/07= 1.139 Hector** को प्रार्थी बैंक के पास रहन रखा। अप्रार्थीगण द्वारा ऋण एव ब्याज का भुगतान नही करने के कारण उनका ऋण खाता दिनांक 29.02.2016 को एनपीए हो गया है। अप्रार्थी ऋणी की ओर दिनांक 01.03.2016 तक ऋण राशि 11,19,986.98रूपये एवंम आगे का ब्याज तथा अन्य खर्चे बकाया है। अप्रार्थीयान को धारा 13(2) के अन्तर्गत 60 दिवस का रजि0 नोटिस दिनांक 04.05.2016 को जारी किये गये। दिनांक 06.05.2016 को नोटिस प्राप्ति के बावजूद अप्रार्थीयान द्वारा बैंक की बकाया ऋण राशि का भुगतान नही किया है। इसलिए अप्रार्थी श्री हरीराम ऋणी द्वारा प्रार्थी बैंक के पास बन्धक रखी गयी गई सम्पति **Commercial property at Chak 6 D.D. Kupli Road, Gharsana, Killa No. 17, 18, 23, 24, 25 Murabba No. 144/07= 1.139 Hector** का भौतिक कब्जा प्रार्थी बैंक को पुलिस की सहायता से दिलाया जावे।

मैने प्रार्थी बैंक के अभिभाषक के तर्को पर मनन किया और पत्रावली का अवलोकन किया तो पाया कि प्रार्थी बैंक ने कुल 11,00,000/—रूपये ऋण राशि के रूप में दिनांक 27.04.2013 को अप्रार्थी मैसर्स श्री सांई ईन्ट उद्योग प्रो0 हरीराम पुत्र श्री भगतराम जाति खटीक स्थित

जिला कलैक्टर
श्रीगंगानगर

P.T.O

चक 6 डी.डी., कूपली रोड़, घड़साना जिला श्रीगंगानगर के नाम स्वीकृत किया था जिसकी सुरक्षा की ऐवज में अप्रार्थी श्री हरीराम ऋणी द्वारा प्रार्थी बैंक के पास अपनी सम्पति **Commercial property at Chak 6 D.D. Kupli Road, Gharsana, Killa No. 17, 18, 23, 24, 25 Murabba No. 144/07= 1.139 Hector** बधंक रखी। प्रार्थी बैंक के प्रा0 पत्र अन्तर्गत धारा 14 एवं उसके समर्थन में प्रस्तुत शपथ पत्र के अनुसार अप्रार्थीगण को बैंक द्वारा दिनांक 04.05.2016 को अधिनियम की धारा 13(2) के अन्तर्गत 60 दिवस के रजि0 नोटिस जारी किये। उधार लेने वाले द्वारा नोटिस प्राप्ति के बावजूद उक्त नोटिस पर किसी प्रकार का कोई आक्षेप या कोई अभ्यावेदन बैंक को प्राप्त नही हुआ है और न ही उनके द्वारा बैंक की बकाया राशि जमा करवाई गई है।

चूंकि अप्रार्थी ~~अप्रार्थी~~ हरीराम ऋणी पुत्र भगत राम को धारा 13(2) के अन्तर्गत रजि0 डाक से बैंक द्वारा नोटिस भिजवाया गया। प्रार्थी बैंक के शपथ पत्र, प्रस्तुत रजिस्ट्री रसीदें दिनांक 05.05.16 एवं पोस्ट ऑफिस के अलग–2 पत्र वितरण के अनुसार अप्रार्थी ऋणी को नोटिस वितरण हो चुके है। इसके बावजूद भी अप्रार्थी ऋणी द्वारा प्रार्थी बैंक की कोई बकाया ऋण राशि जमा नही करवाई गई है और न ही उनके द्वारा कोई जबाब या अभ्यावेदन प्रार्थी बैंक को प्रस्तुत किया गया है। ऐसी स्थिति में अप्रार्थी ऋणी श्री हरीराम द्वारा ऋण की सुरक्षा की एवज में प्रार्थी बैंक के पास बन्धक रखा गयी सम्पति **Commercial property at Chak 6 D.D. Kupli Road, Gharsana, Killa No. 17, 18, 23, 24, 25 Murabba No. 144/07= 1.139 Hector** का भौतिक कब्जा प्रार्थी बैंक को दिलाया जाना आवश्यक है।

अतः स्टेट बैंक आफ बीकानेर एण्ड जयपुर शाखा ए.डी.बी. घड़साना जरिये मुख्य प्रबन्धक स्टेट बैंक ऑफ बीकानेर एण्ड जयपुर क्षेत्रीय कार्यालय जवाहर नगर, श्रीगंगानगर का उक्त प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाता है और अप्रार्थी श्री हरी राम ऋणी द्वारा प्रार्थी बैंक के पास बन्धक रखी गयी सम्पति **Commercial property at Chak 6 D.D. Kupli Road, Gharsana, Killa No. 17, 18, 23, 24, 25 Murabba No. 144/07= 1.139 Hector** का भौतिक कब्जा जरिये पुलिस की सहायता से प्रार्थी बैंक को दिलाये जाने के आदेश दिये जाते है। आदेश की प्रति जिला पुलिस अधीक्षक श्रीगंगानगर को इस अनुरोध के साथ अग्रेषित की जाती है कि प्रार्थी बैंक को उक्त सम्पति का कब्जा प्राप्ति हेतु उनके चाहे अनुसार पुलिस सहायता सम्बन्धित पुलिस थाना के माध्यम से उपलब्ध करवाई जावें। आदेश की प्रति प्रार्थी बैंक व जिला पुलिस अधीक्षक श्रीगंगानगर को पालनार्थ भिजवाई जावें। पत्रावली बाद तरतीब तकमील दाखिल दफतर हो।

यह आदेश आज दिनांक 25–10–2017 को मेरे द्वारा लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

ज्ञा.रा.

(ज्ञाना राम)

जिला कलैक्टर
श्रीगंगानगर